खास खबरें

छत के रास्ते झुग्गी में घुसकर कबाड़ चोरी

नप्र, भोपाल: गौतम नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 475/26 में बीएनएस की धारा 331(4) एवं 62 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी तापसिया पंथी (28) ने शिकायत की कि अज्ञात आरोपी छत के रास्ते झुग्गी में घुसकर कबाड़ का सामान चोरी कर ले गया। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है।

घर के बाहर से 30 हजार की बाइक चोरी

अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 148/26 में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी बलरामदास ने बताया कि अज्ञात आरोपी उनकी होंडा मोटरसाइकिल (एमपी-04-क्यूएन-0813) चोरी कर ले गया। बाइक की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस जांच कर रही है।

कार से शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

बैरागढ़ थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 341/26 में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की। आरोपी राशिद अनवर पिता अनवर हसन (41) के कब्जे से कार क्रमांक एमपी-04-वाईबी-1724 में रखी 12 बीयर एवं 6 अंग्रेजी शराब की बोतलें, कुल कीमत करीब 47 हजार रुपये, जब्त की गईं।

खेत में मिला युवक का शव, मर्ग कायम

जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 21/26 में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग कायम किया है। बरखेड़ी क्षेत्र में शशिकांत धुर्वे ने सूचना दी कि राजू धुर्वे (32) मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

इलाज के दौरान जेल बंदी की मौत

गांधी नगर थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 62/26 में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग कायम किया है। हमीदिया अस्पताल से मिली सूचना के अनुसार जेल बंदी संतोष पिता नन्हेभाई (34) की बीमारी के दौरान उपचार के समय मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बच्चों के विवाद में महिला से मारपीट

गौतम नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 476/26 में बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2) एवं 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी कल्पना उपाध्याय (57) ने शिकायत में अरमान खान पर बच्चों के विवाद में गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

पैसों के विवाद में मारपीट,केस दर्ज

कोलार थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 469/26 में बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 324(2), 351(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

चाकूबाजी केस का पिपलानी पुलिस ने किया खुलासा

राजधानी के पिपलानी थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले में शामिल एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस के अनुसार, घटना 6 अगस्त 2026 की देर रात रत्नागिरी हनुमान मंदिर के पास हुई। मीनाल मॉल से लौट रहे अरविंद सिंह और शुभम विश्वकर्मा की बाइक रोककर आरोपियों ने उनसे विवाद किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अरविंद सिंह की दाढ़ी के पास चोट आई, जबकि शुभम विश्वकर्मा के मुंह और गले के नीचे चाकू लगने से वह घायल हो गए। घटना के दौरान राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी अपनी एक्टिवा मौके पर छोड़कर फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही पिपलानी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में विपिन साहू (23) और अमन राठौर (19), निवासी भीमनगर, भोपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।

कलेक्टोरेट में अफसरों के काम का बँटवारा

डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे बनीं एमपी नगर एसडीएम, अपर कलेक्टर खरे रिलीव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्टोरेट में अफसरों के काम का बंटवारा करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। लंबे समय से कलेक्टोरेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे को एमपी नगर वृत्त का एसडीएम नियुक्त किया गया है। उनके अनुभाग क्षेत्र में एमपी नगर, हरिजन कल्याण, अवधपुरी, क्राइम ब्रांच, बाग सेवनिया, अजाक्स, महिला थाना और जीआरपी थाना शामिल हैं।

संयुक्त कलेक्टर एलके खरे लंबे समय से एमपी नगर एसडीएम के पद पर थे। जुलाई में उनकी अपर कलेक्टर के रूप में पदोन्नति हुई थी। उनके रिलीव होने के बाद एसडीएम की कुर्सी खाली हो गई थी, जिसे अब निधि चौकसे को सौंपा गया है।

अन्य अफसरों को नए प्रभार : संयुक्त कलेक्टर एवं बैरागढ़ वृत्त एसडीएम रवीशकुमार श्रीवास्तव को कई महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भू-संसाधन प्रबंधन, राहत एवं आपदा प्रबंधन, नजूल, आरआरसी, वक्फ संबंधी कार्य, भू-अर्जन/मेट्रो संबंधी कार्य और भूमि आवंटन शाखा शामिल हैं।

डिप्टी कलेक्टर लाखन चौधरी को सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, टीएल मीटिंग, जनसुनवाई, लोकसेवा प्रबंधन और सामान्य शिकायत शाखा का प्रभार सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर एवं शहर वृत्त एसडीएम दीपक पांडेय को उप जिला निर्वाचन अधिकारी का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। जनगणना का कार्य भी उनके पास ही रहेगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा जारी इन आदेशों से भोपाल कलेक्टोरेट में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुचारू बनाने की कोशिश की गई है।

बीएचईएल में खेल सुविधाओं के विस्तार पर मंथन

नप्र, भोपाल: बीएचईएल भोपाल में खेल प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ खेल मैदानों तथा खिलाड़ियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में खेल गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा हुई। बैठक में सभी खेलों के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने पर जोर दिया गया, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही कबड्डी के लिए अलग खेल मैदान उपलब्ध कराने तथा लंबे समय से लंबित सिंथेटिक मैट की व्यवस्था शीघ्र करने की मांग रखी गई। प्रतियोगिताओं और चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कर्मियों, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई।

यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवा का विस्तार

हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो, सार्वजनिक अवकाश पर रात साढ़े आठ बजे तक रहेगा संचालन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने भोपाल मेट्रो के संचालन समय में विस्तार किया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब प्रत्येक रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी।

साथ ही इन दिनों मेट्रो का संचालन एक घंटे अधिक समय तक किया जाएगा, जिससे यात्री रात साढ़े आठ बजे तक सफर कर सकेंगे। नई समय-सारिणी के अनुसार रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर सुभाष नगर स्टेशन से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्टेशन के लिए अंतिम मेट्रो शाम साढ़े सात बजे तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्टेशन से सुभाष नगर के लिए अंतिम मेट्रो रात आठ बजे रवाना होगी। इससे यात्रियों को कम प्रतीक्षा समय के साथ शाम के समय भी अधिक सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।

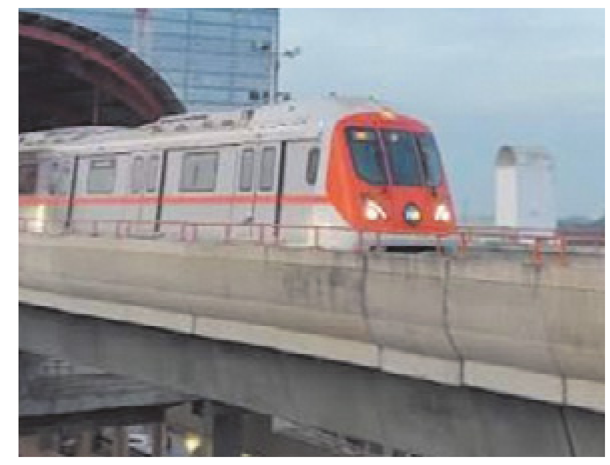

अन्य सभी कार्य दिवसों में मेट्रो का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। व्यस्त समय में सुबह नौ बजे से साढ़े दस बजे तक तथा शाम साढ़े पांच बजे से सात बजे तक हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी, जबकि अन्य समय में पूर्व निर्धारित समय-सारिणी लागू रहेगी।

हाल ही में अत्याधुनिक संकेत प्रणाली शुरू होने के बाद दोनों पटरियों पर नियमित संचालन प्रारंभ किया गया है। यात्रियों के लिए मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल टिकट, एकीकृत भुगतान प्रणाली, त्वरित संकेत कूट, ई-वॉलेट तथा अन्य नकदरहित भुगतान सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा वापसी टिकट पर पांच प्रतिशत, समूह टिकट पर 10 प्रतिशत तथा ई-वॉलेट पुनर्भरण पर राशि के अनुसार आठ से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त बोनस का लाभ भी दिया जा रहा है।

राजधानी से संचालित हो रहा था साइबर ठगों का बैंक खाता नेटवर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: हमीदिया अस्पताल की एक डॉक्टर से ऑनलाइन गेमिंग लिंक के जरिए हुई साइबर ठगी की जांच में पुलिस के सामने साइबर अपराध का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है।

जांच में पता चला है कि भोपाल में बैठकर ग्रामीणों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलवाए जाते थे और उन्हें देशभर में सक्रिय साइबर ठगों को किराये पर उपलब्ध कराया जाता था। इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर और निकासी की जाती थी। कोहेफिजा थाना पुलिस ने इस मामले में राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी करतार सिंह को गिरफ्तार किया है। यहीं से पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि उसने राजस्थान में सक्रिय साइबर ठगों से सीधा संपर्क बना रखा था और उनके लिए तथाकथित 'म्यूल अकाउंट' उपलब्ध कराने का काम करता था।

छह प्रतिशत कमीशन पर चलता था नेटवर्क : पुलिस जांच के अनुसार, साइबर ठगी से प्राप्त रकम इन बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती थी। प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर गिरोह कुल छह प्रतिशत कमीशन लेता था। इसमें तीन प्रतिशत राशि खाताधारकों और स्थानीय नेटवर्क को दी जाती थी, जबकि शेष तीन प्रतिशत मुख्य एजेंट अपने पास रखता था।

राजस्थान से आते थे एजेंट, भोपाल से ले जाते थे नकदी : जांच में सामने आया है कि राजस्थान में बैठे साइबर अपराधी देशभर में ठगी करने के बाद रकम भोपाल स्थित इन खातों में जमा कराते थे।

इसके बाद गिरोह के एजेंट महेश बिश्नोई और विकास पुनिया भोपाल पहुंचकर खाताधारकों से नकदी निकलवाते, पूरी राशि एकत्र करते और उसे राजस्थान ले जाते थे। कुछ रकम कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) के माध्यम से भी गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस इससे पहले जोधपुर निवासी महेश बिश्नोई, जो बी-फार्मा का छात्र है, और विकास पुनिया को गिरफ्तार कर चुकी है।

हर घर तिरंगा अभियान और संत रविदास जयंती की तैयारियों पर भाजपा की बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल नगर की मासिक बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्ष रविंद्र यति की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती, 9 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान, 9 अगस्त की तिरंगा यात्रा और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में आगामी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए जिला और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा का जिला प्रभारी चेतन भार्गव तथा संत रविदास जयंती कार्यक्रमों का जिला प्रभारी मुकेश राय को बनाया गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति का जनआंदोलन है और प्रत्येक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय गौरव का संदेश घर-घर तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम सामाजिक समरसता, समानता और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे।

जिला प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा ने कार्यकर्ताओं से सभी अभियानों को अनुशासन और समर्पण के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। महापौर मालती राय ने भी नागरिकों से इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

धूमधाम से मनाया गया सीएससी दिवस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, मध्यप्रदेश की ओर से गुरुवार को शाहपुरा स्थित नरोन्हा प्रशासन अकादमी में सीएससी दिवस-2026 का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। श्री सारंग ने कहा कि सीएससी आज ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन का मजबूत आधार बन चुका है।

देशभर में ग्राम स्तरीय उद्यमी नागरिकों तक विभिन्न शासकीय और डिजिटल सेवाएं पहुंचाकर सुशासन को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि डिजिटल भारत अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सीएससी नेटवर्क शासन और आमजन के बीच प्रभावी सेतु का कार्य कर रहा है।

पीएनबी रोड निर्माण में देरी को लेकर महापौर से मिले रहवासी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: पंजाब नेशनल बैंक रोड के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर क्षेत्र के व्यापारी और रहवासी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने महापौर मालती राय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने महापौर को अवगत कराया कि इस सड़क का भूमिपूजन 13 मई 2026 को किया जा चुका है, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जबकि संत नगर क्षेत्र की अन्य दो सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ऐसे में पीएनबी रोड की जर्जर हालत से स्थानीय व्यापारियों, वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और आसपास के रहवासियों को प्रतिदिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव और गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग करते हुए समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा जताई। महापौर राय ने मामले को लेकरअधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में पूज्य सिंधी पंचायत के महासचिव राजकुमार वधवानी , समाजसेवी जितेश दिनानी, विक्की मिहानी, विजय दीनानी, सोनी खुशलानी, दीपक सतानी, मनोज गिदवानी, खीमन पंजवानी, चिराग तरनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं रहवासी उपस्थित रहे।

जल गुणवत्ता जांच के लिए निगम ने लिए 134 स्थानों से पानी के नमूने

नप्र, भोपाल: शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम भोपाल द्वारा जल परीक्षण और पाइपलाइन लीकेज सुधार का अभियान लगातार जारी है। निगम अमले ने शहर के 134 स्थानों से पानी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच शुरू की है। इसके साथ ही 37 स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज सुधार कार्य किया गया और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 12 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जलकार्य विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों से लिए गए नमूनों का परीक्षण निगम की आठ परीक्षण शालाओं में किया जा रहा है। अब तक शहर में कुल 27 हजार 205 जल नमूने एकत्र किए जा चुके हैं, जिनमें झुग्गी-बस्ती क्षेत्रों के 12 हजार 490 नमूने भी शामिल हैं। निगम द्वारा पाइपलाइन लीकेज सुधार के तहत अब तक 7 हजार 434 लीकेज ठीक किए जा चुके हैं।

नेतृत्व अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से पहचाना जाता है: सिद्ध भाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: केवलराम चैनराय पब्लिक स्कूल में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी में सिद्ध भाऊजी ने कहा कि सच्चा नेतृत्व पद या अधिकार से नहीं, बल्कि अनुशासन, विनम्रता, नैतिक मूल्यों और कर्तव्यनिष्ठा से पहचाना जाता है।

उन्होंने कहा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बने और जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करे। भाऊ ने विद्यार्थियों को जीवन में सेवा भाव अपनाने और समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं, बल्कि टीम को साथ लेकर चलना, सभी के हित में निर्णय लेना और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर टिके रहना है। उन्होंने नव-निर्वाचित छात्र परिषद से अपेक्षा जताई कि वे विद्यालय की गरिमा बनाए रखते हुए अनुशासन का पालन करें और अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। उनका संबोधन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी रहा और उन्हें एक जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन मिला।

पन्द्रह वर्षीय किशोरी से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म

नप्र, भोपाल: राजधानी में 15 वर्षीय किशोरी से रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का खुलासा करीब एक साल बाद तब हुआ, जब किशोरी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाया गया और उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

किशोरी स्कूल छोड़ चुकी है और परिवार के साथ रहती है। रिश्ते का एक युवक अक्सर उसके घर आता-जाता था। आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले घर में अकेला पाकर उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी का झांसा दिया, जबकि सामाजिक बदनामी के डर से परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत नहीं की।

मामला पहले मंडीदीप और कजलीखेड़ा थानों की सीमा को लेकर करीब 15 दिन तक उलझा रहा। पीड़िता के बयान बदलने के कारण केस डायरी दोनों थानों के बीच स्थानांतरित होती रही। बाद में काउंसलिंग और दोबारा बयान के आधार पर कजलीखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बृजेश कुमार पाण्डेय आत्मज श्री रामसिपाही पाण्डेय, आयु वयस्क, निवासी-ग्राम पोस्ट सूरा, तहसील मनगवां, सूरा मगवान, रीवा म.प्र.। मेरी पुत्री का वास्तविक एवं सही नाम मुस्कान पांडेय (MUSKAN PANDEY) है। मेरे पुत्री के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में उसका नाम आराध्य पाण्डेय (AARADHYA PANDEY) जन्मतिथि 23/02/2012 दर्ज हो गया है, इसे सुधारकर गजट में सही नाम मुस्कान पांडेय (MUSKAN PANDEY) जन्मतिथि 23/02/2010 किया जा रहा है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज है। भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जावेगी एवं यही नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आदि में भी दर्ज करा लिया जावेगा।

बृजेश पाण्डेय,
मो. 8349811717

1220

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा

क्र./जिव्याउके-वि/सामान्य/2026/1530 विदिशा, दि. 04/08/2026

मासिक किराये पर वाहन लिये जाने संबंधी निविदा

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा को टैक्सी वाहन की आवश्यकता है। कार्यालय द्वारा ट्रैवल एजेन्सी/टैक्सी मालिक फर्म से परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन का पंजीयन वर्ष 2025 या उसके पश्चात का होना चाहिए। निविदादाता को एक साथ, निविदा प्रपत्र भाग 1 एवं भाग 2 में पृथक-पृथक बंद लिफाफो में देने होगे। निविदा प्रपत्र का भाग-1, निविदा का 'तकनीकी पक्ष' होगा जिसमें नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने की जानकारी आवश्यक प्रमाण पत्र तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होगें। निविदा प्रपत्र भाग-2, वित्तीय पक्ष से संबंधित होगा जिसमें मासिक किराये की दर (800 किलोमीटर ईधन, वाहन चालक सहित प्रतिमाह) तथा इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर की दरें अंकित हो। वाहन की अधिकतम लागत सीमा राशि रू. 7.00 लाख (एक्स शोरूम कीमत) तक होगी। तदाशय की निविदा के साथ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा के नाम से रूपये 20,000/-(बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निविदा जारी होने की दिनांक से कार्यालयीन दिवसों में दिनांक 31.08.2026 (सोमवार) दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन शुल्क रु. 500/- बजट शीर्ष 0851-00-800-0000 अन्य प्राप्तियां मद में चालान द?द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नगरपालिका, विदिशा में जमा कर मूल चालान कार्यालय में प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जातेगा। निविदायें उसी दिन समय अपरान्ह 2:50 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा

जी-16772/26

न्यायालय तहसीलदार तहसील भैरूंदा जिला सीहोर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- 0001/अ 20(5)/2026-27 भैरूंदा, दिनांक 30/07/2026

सार्वजनिक नोटिस
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भैरूंदा तहसील भैरूंदा जिला सीहोर म.प्र.
...आवेदक बनाम सर्वसाधारण ... अनावेदक

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भैरूंदा जिला सीहोर म.प्र. के द्वारा ग्राम भैरूंदा स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 165/1/1/1 रकबा 1.6190 हे मे से रकबा 0.038 हे. भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये संत रविदास धर्मशाला निर्माण कार्य हेतु आवंटित किये जाने बावत् निवेदन किया गया है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय द्वारा नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के अंतर्गत प्रकरण प्रारूप-दों में तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध मे प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। अत: उक्त सबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 14/08/2026 के पूर्व स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अपना पक्ष या अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। म्याद उपरान्त किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा प्रकरण मे विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।

तहसीलदार
तहसील भैरूंदा जिला सीहोर म.प्र.

1219

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-1, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र.क्र. 0007/अ-20(3)/2024-25
ग्राम- जगदीशपुर प.ह.न.-22
तहसील हुजूर भोपाल

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पर्यटन विभाग भोपाल ने ग्राम जगदीशपुर प.ह.नं-22 तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 537 कुल रकबा 1.1290 हे. भूमि गोंड महल का किला एंव संलग्न भूमि पर्यटन गतिविधियो के सचांलन (हेरिटेज होटल) की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग भोपाल के पक्ष में आवंटन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। अत: प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन आवेदित संस्था के नाम पर किये जाने पर किसी भी व्यक्ति/संस्था या अनुबंधकर्ता आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति दिनांक 10.08.2026 को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति/ अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। वाद-म्याद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी तथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनाँक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

1218

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी. नं. 1080200007, आवेदन क्र. 12408, आवेदन दि. 18/06/2026
क्रमांक 2324/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक 05/08/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना में स्थित भूखण् ड क्रमांक 245 सेक्टर 9/ए निरूपम होम्स (फ्लेट नम्बर एफ0 1 प्रथम तल, श्री जयंत श्रीकृष्ण जोशी अ. श्री एस.आर. जोशी के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री जयंत श्रीकृष्ण जोशी का स्वर्गवास दिनांक: 17/05/2026 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति जोशी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं नोटराइज वसीयत तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने नाम पर चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

1217